[2019] 14 एस. सी. आर. 270

शैलेंद्र राजदेव पासवन और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 333-334/2017)

13 दिसंबर, 2019

[एन. वी. रमना, संजीव खन्ना और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 120-बी, 302,363,364,364-ए, 365-परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला-न्यायालयों का दृष्टिकोण-अभियोजन पक्ष का मामला है कि 4 फरवरी 2001 को, दिनचर्या के अनुसार, शिकायतकर्ता-असा-1, 8 बजे सुबह काम पर चला गया और 2 बजे दोपहर के भोजन के लिए लौटे, जब उन्होंने देखा कि उनका लगभग 9 साल का बेटा लापता था - असा-1 ने बताया कि शुरू में अपीलार्थी-आरोपी क्रमांक 1 खोज में शामिल हो गया लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गया - लौटने पर, कथित तौर पर, उसने एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की यह स्वीकार्य करते हुए की उसने असा 1 के पुत्र का अपहरण अभियुक्त क्रमांक 5 की आज्ञा पर किया, जिसकी असा 1 से दुश्मनी थी और उसने असा-1 के बेटे को अपनी साइकिल पर बिठाया और उसे रेलवे स्टेशन ले गया, जहाँ वह अपीलार्थी-अभियुक्त क्रमांक 2 & 3 को सौंपा - विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को बरी किया - उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया - अपील पर अभिनिर्धारित कियाः घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में न्यायालयों को एक कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल उस स्थिति में दोषसिद्धि दर्ज की जाना चाहिए जब श्रृंखला बनाने के लिए प्रत्येक कड़ी अभियुक्त के दोषी होने की ओर

इशारा करते हुए पूर्ण हों - संदर्भित मामले में, असा-28 और असा-29 के साक्ष्य, जो अभियोजन के मामले में यह स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे कि मृतक आखरी बार अपीलार्थी अभियुक्त क्रमांक 1 के साथ देखा गया था, अस्पष्ट विरोधाभाषी पहेली है - अतः, आखरी बार देखे जाने का सिद्धांत खारिज किया गया - उनके साक्ष्य भी अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों जानते थे कि असा 1 का पुत्र 4 फरवरी 2001 से लापता था, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता क्रमांक 1 की उपस्थिति और आचरण के बारे में, असा 1 के पुत्र के लापता होने के बाद उसकी उग्र खोज से अवगत होने के बावजूद, असा 1 या पुलिस को सूचित नहीं किया - उच्च न्यायालय अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक जब साथ देखे गए थे और जब मृत्यु हुई है में समय अंतराल को देख पाने में भी असफल रही है - इसके अलावा, असा-1 ने इस बात की गवाही नहीं दी कि उसने पहचाना कि पाया गया शव उसके बेटे का था - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी संदेह पैदा होता है जो दर्ज करता है कि मृतक की न्यूनतम आयु लगभग 16 वर्ष थी जबकि असा-1 का बेटा 9 वर्ष का था - परिस्थितियों के बारे में ध्यान देने योग्य विरोधाभास हैं जिनमें स्वीकारोक्ति की गई थी - अपीलार्थियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य ऐसा नहीं है जो अपराध से जोड़ने वाली पूरी श्रृंखला बनाते हों - अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है- अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया गया- आयुध अधिनियम - धारा 21 (1) (ए) - भारतीय विस्फोटक अधिनियम धारा 3, 5.

आपराधिक कानून - अपीलीय अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटना-अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा - अभिनिर्धारित किया गयाः जहां अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलट रहा है, उसे अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को उचित महत्व और विचार देना चाहिए, और इस सिद्धांत के लिए कि इस तरह की धारणा " निचली अदालत द्वारा प्रबलित, पुनः पुष्ट और मजबूत" है।

साक्ष्य - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य - चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 असा-28 और असा-29 के परिसाक्ष्य में सारवान विरोधाभास है। असा-28 और असा-29 के साक्ष्य भी अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अर्जुन 4 फरवरी 2001 से लापता था, लेकिन शिकायतकर्ता के आवास के पास रहने और अर्जुन के लापता होने के बाद उसकी उग्र खोज से अवगत होने के बावजूद, परमहंस (असा-1) या पुलिस को अपीलकर्ता क्रमांक 1 की उपस्थिति और आचरण के बारे में सूचित नहीं किया। यह उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाता है। इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत विफल हो जाता है और इसे एक कमजोर और अविश्वसनीय साक्ष्य के रूप में खारिज कर दिया जाता है। असा-1) ने इस बात की गवाही नहीं दी है कि उसने कृषि फार्म में पाए गए शव की पहचान उसके बेटे के शव के रूप में की थी। मृतक की न्यूनतम आयु लगभग 16 वर्ष दर्ज की गई थी। दूसरी ओर असा-1 का बेटा 9 साल का था। इस प्रकार, अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, कानून दो आवश्यकताओं को स्वीकार करता हैः (I) अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को साबित किया जाना चाहिए। (ii) सभी परिस्थितियाँ सुसंगत होनी चाहिए जो केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इंगित करे। संदर्भित मामले में, असा-28 और असा-29 के साक्ष्य, जो अभियोजन के मामले में यह स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे कि मृतक आखरी बार अपीलर्थी अभियुक्त क्रमांक 1 के साथ देखा गया था, अस्पष्ट विरोधाभाषी पहेली है और विचारण न्यायालय द्वारा सही अविश्वशनीय माना गया है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोनों साक्षियों पर भरोसा करके विधि की भूल की है। उच्च न्यायालय अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक जब साथ देखे गए थे और जब मृत्यु हुई है में समय अंतराल को देख पाने में भी असफल रही है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार दोनों को लगभग सुबह 10:30 बजे दिनांक 04.02.2001 पर एक साथ देखा गया था। शव 13.02.2001 पर बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम 14.02.2001 पर किया गया था। हालाँकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का संभावित समय नहीं बताया गया है, लेकिन पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बयान में कहा कि मृत्यु का समय पोस्टमॉर्टम से 36 से 48 घंटे पहले होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और मृत्यु के समय के बीच एक बड़ा समय

अंतराल था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को उच्च न्यायालय ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। अपीलार्थी अभियुक्त क्रमांक-1 द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और आखिरी बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत पर आधारित था। [पैरा 10-12,15] [278-अ, डी-जी; 279-बी-सी; ई-एफ; 280-जी; 281-अ-सी]

1.2 परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में न्यायालयों को एक कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल उस स्थिति में दोषसिद्धि दर्ज की जाना चाहिए जब श्रृंखला बनाने के लिए प्रत्येक कड़ी अभियुक्त के दोषी होने की ओर इशारा करते हुए पूर्ण हों। प्रत्येक कड़ी जब तक एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ नहीं जुड़ी होती है, तब तक संदेह का संकेत मिल सकता है, लेकिन यह अपने आप में सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपीलार्थियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य ऐसा नहीं है जो अपराध से जोड़ने वाली पूरी श्रृंखला बनाते हों और अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। अंत में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध है। असा-1 द्वारा दायर शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ताओं ने अभियुक्त क्रमांक 5 के इशारे पर काम किया था, लेकिन जैसा कि उनके प्रतिपरिक्षण में स्वीकार किया गया है, अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा पुत्र का अपहरण करने और उसे अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को सौंपने के बारे में की जा रही किसी भी स्वीकारोक्ति का संकेत नहीं दिया। इस तरह की स्वीकारोक्ति कथित रूप से असा-1, असा-9 और असा-22 की जांच के दौरान सामने आई थी। परिस्थितियों के बारे में ध्यान देने योग्य विरोधाभास हैं जिनमें स्वीकारोक्ति की गई थी, उन लोगों की संख्या जिनकी उपस्थिति में यह किया गया था, जबरदस्ती/भय/धमकी की मात्रा जिसने कथित स्वीकारोक्ति को उजागर किया, अन्य। [पैरा 16-18] [281-डी-यच; 282-ए]

1.3 वर्तमान मामले में, पुष्टि करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करें कि अपीलार्थी क्रमांक 1, जैसा कि कथित रूप से स्वीकार किया गया है, अर्जुन को साइकिल पर ले गया था और बच्चे को अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को सौंप दिया था। इसके अलावा, निराधार अंतिम बार देखा गया सिद्धांत, चिकित्सा साक्ष्य का

खंडन करता है, और मामले के तथ्य, विशेष रूप से शरीर की बरामदगी से संबंधित, कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के भौतिक विवरणों को झुटलाते हैं। अभियुक्त क्रमांक 5, अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था। अपीलार्थी क्रमांक 4, जिसको अपीलीय न्यायालय ने दोषी ठहराया है को पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है। उच्च न्यायालय को विचरण न्यायालय के द्वारा दी गई दोषमुक्ति में हस्तछेप नहीं करना चाहिए था, जब तक कि दोषमुक्तियों को स्पष्ट अवैधता से दूषित नहीं किया गया था या इस तरह के निष्कर्ष पर "संभवतः किसी भी अदालत द्वारा उचित और विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता था और इसलिए, इसे विकृत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है"। जहां कोई अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के दोषमुक्त करने के आदेश को उलट रहा है, उसे अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को उचित महत्व और विचार देना चाहिए, और इस सिद्धांत पर कि इस तरह की धारणा "निचली अदालत द्वारा प्रबलित, पुनः पुष्ट और मजबूत" है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं और अपीलार्थी को तदनुसार हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि उन्हें कानून के अनुसार किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो। [पैरा 20-22] [283-बी-जी; 284-ए]

शरद बरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एससीआर 88**; *बोध राज उर्फ बोधा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य* **(2002) 8 एससीसी 45 [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 67**; *रामवृक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य* **(2016) 12 एससीसी 251: [2016] 2 एससीआर 599**; *अंजन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य* **2017 (6) एससीएएलई 556**; *सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य* **(2012) 6 एस. सी. सी. 403 : [2012] 4 एससीआर 366**; *जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(2012) 11 एस. सी. सी. 768: [2012] 7 एस. सी. आर. 91**; *तोता सिंह बनाम पंजाब राज्य* **(1987) 2 एससीसी 529: [1987] 2 एस. सी. आर. 747**; *चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* **(2007) 4 एस. सी. सी. 415 [2007] 2 एस. सी. आर. 630 - पर निर्भर।**

<u>निर्णयज विधि संदर्भ</u>

[1985] 1 एससीआर 88	**पर निर्भर**	**पैरा 13**
[2002] 2 पूरक एससीआर 67	**पर निर्भर**	**पैरा 14**
[2016] 2 एससीआर 599	**पर निर्भर**	**पैरा 14**
2017 (6) एससीएएलई 556	**पर निर्भर**	**पैरा 14**
[2012] 4 एससीआर 366	**पर निर्भर**	**पैरा 19**
[2012] 7 एससीआर 91	**पर निर्भर**	**पैरा 19**
[1987] 2 एससीआर 747	**पर निर्भर**	**पैरा 21**
[2007] 2 एससीआर 630	**पर निर्भर**	**पैरा 21**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 333-334/2017

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के आपराधिक अपील संख्या 1022/2006 साथ ही आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 50/2006 के निर्णय और आदेश दिनांक 28.09.2016/13.10.2016 से उद्भूत।

सुश्री मनीषा टी. करिया, शशांक एस. मंगल, सुश्री सुखदा कालरा, श्रीमती मोना के. राजवंशी, अश्विनी कुमार, सुश्री सौम्या कुंडू, अनुराग कश्यप, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. राजाराजन, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, श्रीमती मयूरी नय्यर चावला, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद और सुश्री श्रुति जोस, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

कृष्णा मुरारी, जे द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. ये अपीलें उच्च न्यायालय, गुजरात की खंड पीठ के निर्णय दिनांक 28 सितंबर 2016 से उत्पन्न होती हैं जिसमे अपीलार्थियों को धारा 302 सहपठित धारा 363,364,364-ए और 365 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, आयुध अधिनियम की धारा 21 (1) (ए) और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया। खंड पीठ ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्त करने के आदेश को पलटते हुए अपीलार्थियों को निम्नलिखित सजा दी हैः

धारा के अंतर्गत अपराध	**अधिरोपित सजा**	**व्यतिक्रम सजा**
भा. द. स. की 302	आजीवन कारावास + प्रत्येक पर रु.10000 जुर्माना	दो महीने का साधारण कारावास।
भा. द. स. की 363	सात साल का सश्रम कारावास + प्रत्येक पर रु. 5000 जुर्माना	एक महीने का साधारण कारावास।
भा. द. स. की 364	दस साल का सश्रम कारावास + प्रत्येक पर रु. 5000 जुर्माना	एक महीने का साधारण कारावास।
भा. द. स. की 364 क	आजीवन कारावास + प्रत्येक पर रु.10000 जुर्माना	एक महीने का साधारण कारावास।
भा. द. स. की 365	सात साल का सश्रम कारावास + प्रत्येक पर रु. 5000 जुर्माना	एक महीने का साधारण कारावास।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 5 फ़रवरी 2001 को शिकायतकर्ता परमहँस मंगल यादव (अ.सा.-1) ने पुलिस थाना कपोदरा में सूचना दी कि उसका सबसे छोटा लड़का अर्जुन, लगभग 9 साल का जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, 4 फरवरी 2001 से लापता था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, शिकायतकर्ता, दिनचर्या के अनुसार, सुबह 8:00 बजे काम पर चला गया था और 2:00 बजे दोपहर के भोजन के लिए लौटा था, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन गायब था। शिकायतकर्ता ने गलियों में और

पास में रहने वाले रिश्तेदारों के पास अर्जुन की तलाश की थी लेकिन अर्जुन नहीं मिला। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई यह जानकारी पुलिस डायरी में दर्ज की गई थी। इसके बाद 14 फरवरी 2001 को विधिवत शिकायत दर्ज की गई। इस शिकायत में, परमहंस (अ.सा.-1) ने बताया था कि शुरू में शैलेंद्र राजदेव पासवन, अपीलार्थी/अभियुक्त नं. 1, खोज में शामिल हुआ था लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया था। लगभग चार दिनों के बाद, अपीलार्थी क्रमांक 1 ने शिकायतकर्ता को फोन किया और खुलासा किया कि वह वापी में है। शिकायतकर्ता को संदेह हुआ और उसके बाद उसने अपने बहनोई साधुशरण हरिनंदन यादव (अ.सा-9) और दो अन्य रिश्तेदार सुदर्शन और प्रेमचंद यादव को अपीलार्थी क्रमांक 1 को वापस लाने के लिए वापी भेज दिया। अपीलार्थी क्रमांक 1 के लिए यह कहा जा रहा है कि उसने लौटने पर परमहंस (अ.सा-1) के घर के पास लगभग 50 लोगों के सामने एक गैर न्यायिक स्वीकारोक्ति दी। अपीलार्थी क्रमांक 1 ने स्वीकार किया था कि उसने अभियुक्त क्रमांक 5, रामकेवल मुतुर यादव के कहने पर अर्जुन का अपहरण किया था, जिसे शिकायतकर्ता के खिलाफ दुश्मनी और शिकायत थी। अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने अर्जुन को अपनी साइकिल पर बिठाया था और उसे रेलवे स्टेशन ले गया था, जहाँ उसे राम आशीष और शिवनाथ, अपीलार्थी/अभियुक्त क्रमांक 2 और 3 को सौंप दिया गया था।

3. इसके बाद, अपीलार्थी क्रमांक 1, शैलेंद्र को पुलिस ने 14 फरवरी 2001 को गिरफ्तार किया था।

4. कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बाद, शिकायतकर्ता ने अपने बहनोई, साधुशरण (अ. सा.-9) को एक जुगेश्वर के साथ अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 की तलाश के लिए फिर से वापी भेज दिया था। उन्होंने वापी में संजय से मुलाकात की जिसने सूचित किया था कि अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 उनके घर पर रह रहे थे। इसके बाद जुगेश्वर ने शिकायतकर्ता को सूचित किया जिसने बदले में पुलिस को यह जानकारी दी। तत्पश्चात अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को पुलिस ने संजय के घर से गिरफ्तार किया।

5. यह पुलिस का मामला है कि 13 फरवरी 2001 को नागिनभाई कल्याणजी पटेल (अ. सा. 15) और उनके बेटे संजय पटेल (अ. सा. 5) को उनके कृषि खेत में एक पैर के बिना क्षत-विक्षत विघटित शव मिला था, जिन्होंने तब पांडेसरा के पुलिस स्टेशन को सूचित किया था। उक्त मृत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सूरत के न्यू सिविल अस्पताल भेजा गया और मुर्दाघर में रखा गया।

6. यह पुलिस का मामला है कि मृत शव अर्जुन का था और गिरफ़्तारी के पश्चात अपीलार्थी क्रमांक 1 वह स्थान दिखाया जहाँ अर्जुन को अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 के साथ छोड़ दिया गया था और जहाँ इस्तेमाल की गई साइकिल छोड़ दी गई थी। अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 ने भी सहमति व्यक्त की थी और वह स्थान दिखाया था जहाँ अर्जुन की हत्या की गई थी और उसके शव का निपटान किया गया था।

7. जाँच पूरी करने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ भा. द. स. की धारा 363,364,364-ए, 365 और 302 सहपठित धारा 120-बी और आयुध अधिनियम की धारा 21 (1) (ए) के तहत और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत उन पर अपराधों के लिए आरोप तय किए गए और मुकदमा चलाया गया।

8. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17 जनवरी 2006 के फैसले में आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया। जिन परिस्थितियों ने विचरण न्यायालय को प्रभावित किया वे थींः

(I) यह तथ्य बेहद संदिग्ध था कि अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक मृत्यु से पहले एक साथ देखे गए थे, और साबित नहीं हुआ था।

(II) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी।

(III) मामले में पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य विरोधाभासी थे। जब मृतकों के ठीक होने के बाद पहला पंचनामा

(IV) घटना स्थल पर कोई बाल या हड्डी नहीं मिली, लेकिन बाद में उसी स्थान से बाल और हड्डियों का गुच्छा अभियुक्त द्वारा इंगित करने पर पाया गया।

(V) साइकिल की जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 पर मृतक को ले जाने का आरोप लगाया गया था,उसके स्वामित्व के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि यह उसकी थी या उसने किसी व्यक्ति से उधार ली थी।

(VI) अपहरण के लिए फिरौती की मांग सबूत द्वारा साबित नहीं हुई इस प्रकार उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया था।

(VII) साबित हुई ये परिस्थितियाँ एक साथ नहीं जुड़ी थीं ताकि पूरी श्रृंखला बन सके जो केवल एक परिणाम की ओर ले जाए अर्थात् अभियुक्त की दोषसिद्धि।

9. अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को स्थापित करने के लिए कमलेश भगवानभाई ठाकुर (अ.सा.-28) और काशीबेन छितुभाई पटेल (अ.सा.-29) की गवाही पर व्यापक रूप से भरोसा करना , जबकि चुनिंदा विवरण को चुनते हुए और चिकित्सकीय साक्ष्य के अंतराल को मापते हुए, उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को दरकिनार कर दिया और अपीलार्थियों को दोषी ठहराया। नतीजतन, दोषसिद्धि के लिए चुनौती उक्त साक्ष्य की दृढ़ता पर आधारित है।

10. शुरू में ही कमलेश (असा-28) और काशीबेन (असा-29) के परिसाक्ष्य में सारवान विरोधाभास है। कमलेश(असा-28) ने साक्ष्य दी है की वह और धवल सोसाइटी में खेल रहे थे और अर्जुन साइकिल चला रहा था, जबकि काशीबेन (असा-29) ने अभिसाक्ष्य दी है कि अर्जुन लगभग उसी समय परमहंस (असा-1) के घर की छत पर था। इसके अलावा, काशीबेन (असा-29) हालांकि दरवाजे के पास बैठी हैं, लेकिन उन्होंने आसपास के क्षेत्र में कमलेश (असा-28) की उपस्थिति के बारे में गवाही नहीं दी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 को आखिरी बार अर्जुन के साथ देखे जाने के संदर्भ में, कमलेश (असा-28) ने अभिसख्या दी है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने अर्जुन से बात की थी, जब वे वीडियो गेम की दुकान की ओर जा रहे थे; दूसरी ओर, काशीबेन (असा-29) ने अभिसख्या दी है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 परमहंस (असा-1) के घर की छत पर गया था जहाँ अर्जुन भी मौजूद था और वे दोनों नीचे आ गए थे। काशीबेन (असा-29) द्वारा अर्जुन के अपहरण के बारे में पेश की गई कहानी और भी अधिक विवादास्पद है, यदि स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता - परमहंस (असा-1) का घर

काशीबेन (पीडब्लू-29) के निवास से कुछ दूरी (पांच घरों की दूरी) पर स्थित है। कमलेश (असा-28) और काशीबेन (असा-29) के साक्ष्य भी अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अर्जुन 4 फरवरी 2001 से लापता था, लेकिन शिकायतकर्ता के आवास के पास रहने और अर्जुन के लापता होने के बाद उसकी उग्र खोज से अवगत होने के बावजूद, परमहंस (असा-1) या पुलिस को अपीलकर्ता क्रमांक 1 की उपस्थिति और आचरण के बारे में सूचित नहीं किया। यह उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाता है। इस प्रकार, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत विफल हो जाता है और इसे एक कमजोर और अविश्वसनीय साक्ष्य के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक पैर गायब होने के साथ क्षत-विक्षत अवस्था में शव 13 फरवरी 2001 को नागिनभाई पटेल (असा-15) और संजय पटेल (असा-5) के कृषि फार्म में मिला था, जो अपीलार्थी क्रमांक 1 की गिरफ्तारी से एक दिन पहले की बात है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि शव अर्जुन का था। हालाँकि, शिकायतकर्ता और पिता, परमहंस (असा-1) ने गवाही नहीं दी है कि उन्होंने कृषि खेत में पाए गए शव की पहचान अर्जुन के शव के रूप में की थी। परमहंस (असा-1) की गवाही उक्त पहलू पर पूरी तरह से मौन है। इंस्पेक्टर मुनव्वरखान (असा-24) ने गवाही दी है कि परमहंस (असा-1) ने शव की पहचान की थी लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा जैसा कि परमहंस (असा-1) ने अपनी अदालती गवाही में ऐसी किसी पहचान के बारे में नहीं कहा है। मुनव्वरखान (असा-24) ने अपने द्वारा तैयार किए गए किसी भी पहचान ज्ञापन का उल्लेख नहीं किया है। गणेशभाई (असा-17) के माध्यम से शव की बरामदगी पर पंचनामे में गवाह की गवाही यह इंगित करती है कि शरीर सड़ चुका था और उसमें छोटे कीड़े थे। मानसिंहभाई वलवई (असा-20), जो पांडेसरा पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, ने गवाही दी है कि नग्न शरीर काला पड़ गया और फूला हुआ था, बाहरी त्वचा सड़ चुकी थी और हड्डी घुटने से लेकर दाहिने पैर के पंजे तक दिखाई दे रही थी। डॉ. प्रवीणभाई कालिदास पटेल (असा-27) द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट "प्रदर्श-88" से चिह्नित से और संदेह पैदा होता है जिसमे दर्ज है कि रिगर मॉर्टिस और पीएम लिविडिटी गुजर चुकी थी और मृत्यु पोस्टमॉर्टम से 36-48 घंटे पहले हुई थी। मृतक की न्यूनतम आयु लगभग 16 वर्ष दर्ज की गई थी। दूसरी ओर अर्जुन की उम्र 9

साल थी। पुलिस संस्करण के अनुसार, मानव शरीर की हड्डियाँ अर्थात् टिबिया और फाइबुला कृषि फार्म में पाए गए और चिकित्सा जांच के लिए भेजे गए जो डॉ. मोहम्मद कुरैशी (असा-25) द्वारा आयोजित किया गया था। डॉ. मोहम्मद कुरैशी (असा-25) ने कहा है कि हड्डियां सड़ने की एक ही अवस्था में थीं, हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में, वह सटीक उम्र नहीं बता सके, हालांकि उनकी राय थी कि हड्डियां 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति की थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एफएसएल रिपोर्ट से हड्डियों की कोई गुणसूत्र राय प्राप्त नहीं हुई थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता था कि हड्डियां पुरुष की थीं या महिला की। स्वीकृत है कि डीएनए परीक्षण भी नहीं किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, अभियोजन का पक्ष कायम नहीं रह सकता है, और अर्जुन के शव की बरामदगी का श्रेय अपीलार्थियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों को नहीं दिया जा सकता है।

12. इस प्रकार अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, कानून दो आवश्यकताओं को स्वीकार करता हैः

(I) अभियुक्त के अपराध को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे स्थापित स्थापित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को साबित किया जाना चाहिए।

(II) सभी परिस्थितियाँ सुसंगत होनी चाहिए जो केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इंगित करे।

13. इस न्यायालय ने शरद बिरदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य[1] के मामले में उपरोक्त सिद्धांत को निम्नानुसार प्रतिपादित किया हैः

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में सामान्य सिद्धांत साक्ष्य यह है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का अनुमान लगाया जाता है वह

[1] (1984) 4 एस सी सी 116

स्पष्ट और दृढ़ता होनी चाहिए; वे परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए; कि संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होने चाहिए"।

14. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में विचार करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उस बिंदु के बीच का समय अंतराल है जब अभियुक्त और मृतक को एक साथ देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है। यह इतना न्यूनतम होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के हाथों मृत्यु से जुड़ी किसी भी मध्यवर्ती घटना की संभावना को बाहर कर दिया जाए। न्यायदृष्टांत बोध राज उपनाम बोध बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य[2], रामवृक्ष बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[3], अंजन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य[4] इस संबंध में कानून के सिद्धांत का पालन करते हुए स्पष्ट किया गया हैः-

> *"अंतिम बार देखा गया सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक आखिरी बार अभियुक्त के साथ तब देखा गया था जब एक लंबा अंतराल होता है और बीच में अन्य व्यक्तियों के आने की संभावना मौजूद होती है। किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आना खतरनाक होगा।*

---

[2] (2002) 8 एस सी सी 45

[3] (2016) 12 एस सी सी 251

[4] (2017) (6) एस सी ए एल ई 556

15. संदर्भित मामले में, असा-28 और असा-29 के साक्ष्य, जो अभियोजन के मामले में यह स्थापित करने में महत्वपूर्ण थे कि मृतक आखरी बार अपीलर्थी अभियुक्त क्रमांक 1 के साथ देखा गया था, अस्पष्ट विरोधाभाषी पहेली है और विचारण न्यायालय द्वारा सही अविश्वशनीय माना गया है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोनों साक्षियों पर भरोसा करके विधि की भूल की है। उच्च न्यायालय अपीलार्थी क्रमांक 1 और मृतक जब साथ देखे गए थे और जब मृत्यु हुई है में समय अंतराल को देख पाने में भी असफल रही है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार दोनों को लगभग सुबह 10:30 बजे दिनांक 04.02.2001 पर एक साथ देखा गया था। शव 13.02.2001 पर बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम 14.02.2001 पर किया गया था। हालाँकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का संभावित समय नहीं बताया गया है, लेकिन पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बयान में कहा कि मृत्यु का समय पोस्टमॉर्टम से 36 से 48 घंटे पहले होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और मृत्यु के समय के बीच एक बड़ा समय अंतराल था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को उच्च न्यायालय ने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। अपीलार्थी अभियुक्त क्रमांक-1 द्वारा अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य और आखिरी बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत पर आधारित था। शिकायतकर्ता और अन्य रिश्तेदारों के समक्ष अपीलार्थी क्रमांक 1 के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और शव की बरामदगी को अभियोजन पक्ष द्वारा एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ जोड़ा गया था।

16. यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में न्यायालयों को एक कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल उस स्थिति में दोषसिद्धि दर्ज की जाना चाहिए जब श्रृंखला बनाने के लिए प्रत्येक कड़ी अभियुक्त के दोषी होने की ओर इशारा करते हुए पूर्ण हों। प्रत्येक कड़ी जब तक एक श्रृंखला बनाने के लिए एक साथ नहीं जुड़ी होती है, तब तक संदेह का संकेत मिल सकता है, लेकिन यह अपने आप में सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

17. अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य ऐसा नहीं है जो अपराध से जोड़ने वाली पूरी श्रृंखला बनाते हों और अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है।

18. अंत में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध है। परमहंस (असा-1) द्वारा दायर शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ताओं ने रामकेवल के इशारे पर काम किया था, लेकिन जैसा कि उनके प्रतिपरिक्षण में स्वीकार किया गया है, अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा अर्जुन का अपहरण करने और उसे अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को सौंपने के बारे में की जा रही किसी भी स्वीकारोक्ति का संकेत नहीं दिया। इस तरह की स्वीकारोक्ति कथित रूप से परमहंस (असा 1), साधुशरण (असा-9) और हीरालाल यादव (असा-22) की जांच के दौरान सामने आई थी । इस तथ्य के बावजूद कि साधुशरण (असा-9), जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता-परमहंस का बहनोई है और हीरालाल (असा-22) एक पड़ोसी, उन परिस्थितियों के बारे में ध्यान देने योग्य विरोधाभास हैं जिनमें स्वीकारोक्ति की गई थी, उन लोगों की संख्या जिनकी उपस्थिति में यह किया गया था, जबरदस्ती/भय/धमकी की मात्रा जिसने कथित स्वीकारोक्ति को उजागर किया, अन्य।

19. ***सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य***[5] अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य के पहलू का उल्लेख करते हुए यह कहा गया थाः

"14. यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है। जहाँ कहीं भी न्यायालय, अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य की उचित सराहना करने पर, एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का इरादा रखती है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह विश्वास को प्रेरित करता है और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। लेकिन, अगर अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भौतिक विसंगतियों या अंतर्निहित असंभवताओं से प्रभावित होती है और अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार ठोस प्रतीत नहीं होता है, न्यायालय के लिए इस तरह की

---

[5] (2012) 6 एस सी सी 403

स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, इस तरह के साक्ष्य को विचार से बाहर निकालने में न्यायालय पूरी तरह से उचित है।

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में विकसित हुए न्यायशास्त्र के बारे में विस्तार से बताते हुए, ***सहदेवन*** (ऊपर) में इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया था जिन्हें साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इन सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख ***जगरूप सिंह बनाम पंजाब राज्य***[6] में इस प्रकार किया गया है:

"30. हाल ही में सहदेवन बनाम. तमिलनाडु राज्य, में यसके. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और पांचो बनाम हरियाणा राज्य के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है और इसकी अदालत द्वारा अधिक सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए; कि यह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और सच्चा होना चाहिए; कि यह विश्वास को प्रेरित करना चाहिए; कि एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अधिक विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य को प्राप्त करती है यदि यह ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित है और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है; कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के लिए आधार होना चाहिए दृढ़ विश्वास, यह किसी भी सारभूत विसंगतियों और अंतर्निहित असंभवताएँ से पीड़ित नहीं होना चाहिए; और यह कि कथन को अनिवार्य रूप से किसी भी अन्य तथ्य की तरह कानून के अनुसार साबित करना होगा।

20. वर्तमान मामले में, पुष्टि करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करें कि अपीलार्थी क्रमांक 1, जैसा कि कथित रूप से स्वीकार किया गया है, अर्जुन को साइकिल पर ले गया था और बच्चे को अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 को सौंप दिया था। इसके अलावा, निराधार अंतिम बार देखा गया सिद्धांत, चिकित्सा साक्ष्य का खंडन करता है, और मामले के तथ्य, विशेष रूप से शरीर की

---

[6] (2012) 11एस सी सी 768

बरामदगी से संबंधित, कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के भौतिक विवरणों को झुटलाते हैं।

21. हमारी राय में विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को ठोस तर्क और अच्छे कारणो सहित सही दोषमुक्त किया था। रामकेवल मुटुर यादव, अभियुक्त क्रमांक 5, को अपीलीय न्यायालय ने दोषी नहीं ठहराया था। अजय उर्फ प्रदीप हिरालाल गुप्ता, अपीलार्थी क्रमांक 4, जिसको अपीलीय न्यायालय ने दोषी ठहराया है की पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है। कहने की आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय को विचरण न्यायालय के द्वारा दी गई दोषमुक्ति में हस्तछेप नहीं करना चाहिए था, जब तक कि दोषमुक्तियों को स्पष्ट अवैधता से दूषित नहीं किया गया था या इस तरह के निष्कर्ष पर "संभवतः किसी भी अदालत द्वारा उचित और विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता था और इसलिए, इसे विकृत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है"।[7] इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां कोई अपीलीय न्यायालय निचली अदालत के दोषमुक्त करने के आदेश को उलट रहा है, उसे अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को उचित महत्व और विचार देना चाहिए, और इस सिद्धांत पर कि इस तरह की धारणा "निचली अदालत द्वारा प्रबलित, पुनः पुष्ट और मजबूत" है।[8] वर्तमान मामले में साक्ष्य में अंतर्निहित विसंगतियों और असंगतियों को देखते हुए, अपीलार्थियों के कथित कार्यों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है।

22. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम अपीलों की अनुमति देते हैं और एफ. आई. आर. सं. 55/2001 से उत्पन्न आरोप पत्र में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार करते हैं। अपीलार्थी तदनुसार हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि उन्हें कानून के अनुसार किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो।

श्रीमति भारती केशरी कश्यप

---

[7] तोता सिंह बनाम पंजाब राज्य (1987) 2 एस सी सी 529

[8] चंद्रअप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस सी सी 415